दूसरी वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

इरकॉन वीकेईएल की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	
2.	**सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट**	
3.	कंपनी के इंड एएव वित्तीय विवरण (i) तुलन पत्र (ii) लाभ हानि विवरण (iii) रोकड़ प्रवाह विवरण (iv) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (v) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार (vi) लेखों एवं अन्य विवरणात्मक सूचना संबंधी नोट	
4.	**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (सीएजी टिप्पणियां)**	

कंपनी परियोजना

"हाइब्रिड वार्षिकी आधार (चरण-।क-पैकेज-।।) पर एनएचडीपी चरण-VI के अंतर्गत गुजराज राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पेड्रा खंड) आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे"

निदेशक मंडल

श्री एस एल गुप्ता, अंशकालीन अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक
श्री सुरजीत दत्ता, अंशकालीन निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री राज कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी
सुश्री रिची महाजन, कंपनी सचिव

बोर्ड समितियां
लेखापरीक्षा समिति और नामांकन समिति
(19 सितंबर 2019 से 17 मार्च 2020)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसस एन.सी.राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कंपनी के सीपीसी संविदाकार
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

कंपनी के बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली

सम्पर्क अधिकारी
सुश्री रिची महाजन कंपनी सचिव
ईमेल : csirconvkel@gmail.com
दूरभाष: 011-26545000

पंजीकृत कार्यालय
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई
नई दिल्ली-110017

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन (नामिति) निदेशक]

श्री श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष

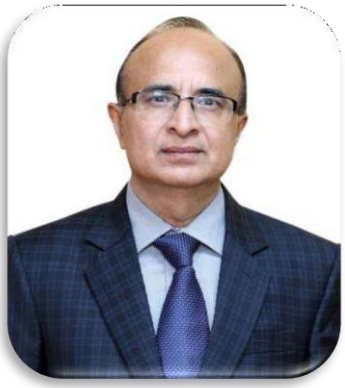

श्री अशोक कुमार गोयल
निदेशक

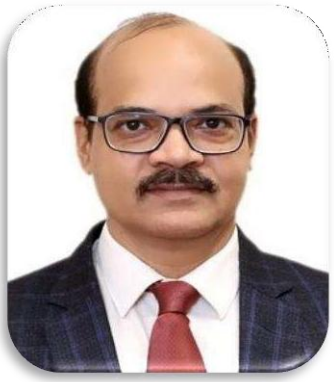

श्री राजेन्द्र सिंह यादव
निदेशक

श्री सुरजीत दत्ता
निदेशक

इरकॉन वीकेईएल के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
[17.03.2020 से]

श्री राज कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी
(सीएफओ) [20.11.2018 से]

सुश्री रिची महाजन
कंपनी सचिव
[04.04.2019 से]

वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना की फोटोग्राफ

निदेशक की रिपोर्ट

वर्ष 2019-20

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और व्यावसायिक गतिविधियों सहित प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है।

व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं: कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना कार्यों के निष्पादन के लिए 16 मई, 2018 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में किया गया था। इरकॉन वीकेईएल का मुख्य उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर वार्षिकी मोड (चरण ।क- पैकेज ।।) एनएचडीपी चरण - V। हाइब्रिड के तहत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पेडरा खंड) तक आठ लेन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के कार्य को निष्पादित करना है। ।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय समापन दिनांक 25 सितंबर 2018 को प्राप्त किया गया है। एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति तिथि 31 जनवरी 2019 है। समापन अवधि नियत तारीख से 730 दिन है। दिनांक 25 अप्रैल 2019 (पहली किस्त) और दिनांक 29 जून 2019 (दूसरी किस्त) पर एनएचएआई से मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त किया गया है। परियोजना की कुल लागत 1865 करोड़ रूपए है। परियोजना का पहला लक्ष्य दिनांक 27.09.2019 को और दूसरा परियोजना लक्ष्य दिनांक 25.01.2020 को पूरा किया गया था।

आज की तिथि को परियोजना में भूमि उपलब्धता एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई का 98.75% है। कोविड-19 के प्रसार से पूर्व, भौतिक प्रगति (22 मार्च, 2020 तक) 43.40% थी और लॉकडाउन के समाप्त होने के पश्चात (25 जून, 2020 तक) प्रगति 44.81% है। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि 30 जनवरी, 2021 है। एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि 31 जनवरी, 2019 है और समापन अवधि निर्धारित तारीख से 730 दिन है। हालांकि, कोविड-19 के कारण, समापन अवधि के बढने की संभावना है।

वित्तीय विशेषताएं : कंपनी का वित्तीय निष्पादन:

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया है। तदनुसार, इंड एएस के अनुपालन हेतु लेखांकन नीतियों को पुन:निर्धारित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(राशि लाख रूपए में)

क्र .सं	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु	16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	1,000	600
2.	अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि और अतिरेक सहित)	12,605.98	4.99
3.	धारक कंपनी से ऋण (उधार)	18,100	0
4.	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	0	0
5.	**कुल संपत्ति और देयताएं**		
6.	प्रचालन से राजस्व	61,928.13	100.85
7.	अन्य आय	31.80	6.74
8.	**कुल आय (6) + (7)**	61,959.92	107.59
9.	प्रचालन लागत	61,927.71	100.84
10.	अन्य खर्चे	-	-
11.	मूल्यह्रास	0.42	0.01
12.	**कुल व्यय (9) + (10)**	61,928.13	100.84
13.	**कर पूर्व लाभ (हानि) (8) - (12)**	31.79	6.74

14.	कराधान के लिए प्रावधान	-	-
15.	- वर्तमान	9.87	3.86
16.	- पूर्ववर्ती वर्षों का कर	1.28	-
17.	- आस्थगित कर	(3.35)	(2.10)
18.	**कर पश्चात लाभ / (हानि)**	23.99	4.99
19.	**अन्य वृहत आय**		
20.	**कुल वृहत आय (संचयी लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय (18) + (19)**	23.99	4.99

31 मार्च 2020 को कंपनी की शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 10,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को बढाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 6 करोड़ से 10 करोड़ रुपये कर दिया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

आवंटन की तिथि	आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रति शेयर 10 रूपए)	आवंटिती का नाम
19 सितंबर, 2019	40,00,000 (4 करोड) @ प्रति 10 रू.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)

परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह **(30,498.55** रूपए) (हजार में)।

प्रबंधन एवं विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर):

एमडीएआर इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-क** पर संलग्न है।

वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम-92(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न का सार, इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

कंपनी का प्रबंधन कंपनी के बोर्ड के रूप में पांच गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों की अध्यक्षता में है, जिनकी नियुक्ति आपकी कंपनी की धारक कंपनी द्वारा की गई है: -

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति तिथि	डीआईएन
1.	श्री श्याम लाल गुप्ता, अंशकालीन अध्यक्ष	01.11.2019	07598920
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, नामिति निदेशक	16.05.2018	05308809
3.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, नामिति निदेशक	16.05.2018	07752915
4.	श्री सुरजीत दत्ता, नामिति निदेशक	05.09.2019	06687032

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

क्र.सं	कंपनी के प्रमुख कार्मिक	नियुक्ति तिथि	पेन न.
1.	श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (17.03.2020 को केएमपी नामित)	17.03.2020	AFCPS5093Q
2.	श्री राज कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी (20.11.2018 को केएमपी नामित))	20.11.2018	AUSPK7929G
3.	सुश्री रिची महाजन, कंपनी सचिव (04.04.2019 को केएमपी नामित))	04.04.2019	BSKPM9006P

** श्री नितेश कुमार जी असाती के स्थान पर दिनांक 17.03.2020 को श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया था।*

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपके निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013, बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार, नियम, 2014 और डीपीई (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देशों, 2010 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-29 के दौरान 10 बार बैठकें आयोजित की हैं।

बोर्ड की बैठकें दिनांक 08.04.2019, 02.05.2019, 29.07.2019, 19.09.2019, 16.10.2019, 24.10.2019, 29.11.2019, 18.12.2019, 27.01.2020, 17.03.2020 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठक के बीच अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित रहे:-

निदेशक का नाम	**बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित रहे**
श्री दीपक सबलोक (31.10.2019 तक)	6/6
श्री श्याम लाल गुप्ता (01.11.2019 से)	4/4
श्री अशोक कुमार गोयल	10/10
श्री आनन्द कुमार सिंह (04.09.2019 तक)	4/4
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	09/10
सुश्री अनुपम बेन (30.08.2019 तक)	3/3
श्री सुरजीत दत्ता (05.09.2019 से)	6/7

बोर्ड समितियां:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 19 सितंबर, 2019 से लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 5 जुलाई, 2017 और 13 जुलाई, 2017 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत क्रमश: अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड समितियों यथा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से छूट दी गई है। कंपनी की समितियों को दिनांक 17 मार्च, 2020 को भंग कर दिया गया गया था।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकन कार्मिकों में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों में परिवर्तन:

- सुश्री अनुपन बेन और श्री आनंद कुमार सिंह ने क्रमश: दिनांक 30 अगस्त, 2019 और 04 सितंबर 2019 से कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया।
- श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक को श्री आनंद कुमार सिंह के स्थान 5 सितंबर, 2019 को नियुक्त किया गया था।
- श्री दीपक सबलोक अधिवर्षिता के कारण दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 से अध्यक्ष और निदेशक के पद से पदमुक्त हुए। बोर्ड उनके अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए इसकी सराहना करता है।
- श्री श्याम लाल गुप्ता को श्री दीपक सबलोक के स्थान पर 01 नवंबर, 2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हैं:

- श्री ब्रज भूषण सिंह, सीईओ: दिनांक 28.11.2018 से 13.11.2019 तक
- श्री नितेश कुमार जी असाती, सीईओ: दिनांक 28.11.2019 से 17.03.2020 तक
- श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह, सीईओ: दिनांक 17.03.2020 से।
- श्री राज कुमार, सीएफओ: दिनांक 20.11.2018 से, और
- सुश्री रिची महाजन, कंपनी सचिव: दिनांक 04.04.2019 से।

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **अनुबंध- ग** के रूप में संलग्न है।

निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतदद्वारा पंष्टि की जाती है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक वित्तीय विवरण ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

ड.) चूंकि कंपनी असूचीबद्ध है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के उपखंड (ग) के साथ पठित धारा 134 (5) का उप खंड (ड.) के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। तथापि, वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं;

छ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) द्वारा घोषणा और पुनर्नियुक्ति:

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के प्रावधान लागू नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक:

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिनांक 09.08.2019 के पत्र सं. वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, आईवीकेईएल(I) 676 के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मैसर्स एन.सी. राज और एसोसिएट्स, नई दिल्ली, सनदी लेखाकार को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(1) के तहत अपेक्षित अनुसार लिखित सहमति प्रदान की है।

आंतरिक लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया।

अन्य लेखापरीक्षा

**** वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखापरीक्षा और सचिवीय लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।***

निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

अंतर-निगमित ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण (धारा 185 और 186):

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

संबंधित पक्षों के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन व्यापार के सामान्य क्रम में था और यह आर्म लैंथ आधार पर थे।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ किसी भी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन में प्रवेश नहीं किया था, जिसे संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर कंपनी की नीति के अनुसार

महत्वपूर्ण माना जा सकता है। एओसी- 2 में इसी को प्रस्तुत किया गया है जो इस रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध-घ** पर संलग्न है।

आरक्षित निधि के लिए लाभांश और विनियोजन:

परियोजना की स्थिति के मद्देनजर जो निर्माण चरण के अंतर्गत है, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है। इंड एएस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में "अन्य इक्विटी" के तहत प्रतिधारित आय के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास 31 मार्च 2020 तक प्रतिधारित आय के रूप में 28.98 लाख रूपए का शेष है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे।

निगमन से अब तक राइट इश्यु:

आवंटन की तिथि	आवंटित शेयरों की संख्या (प्रति 10 रूपए के)	आवंटिती का नाम
20 नवंबर, 2018	50,00,000 (5 करोड) @ 10 प्रति	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)
19 सितंबर, 2019	40,00,000 (4 करोड) @ 10 प्रति	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:

कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण, 2014 निम्नानुसार दिए गए हैं:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए, कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त लगी है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -

वर्ष 2019-20 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

जोखिम प्रबंधन:

कंपनी के पास अपनी गतिविधियों के अनुरूप सुदृढ व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन ढांचा विद्यमान है, जो व्यापार के जोखिमों की पहचान करने में सक्षम है। बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनियों (नियुक्ति और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा-134 (3) के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने प्रतिवर्ष 60 लाख रूपए या उससे अधिक, या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों का विवरण:

आपकी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण-स्वामित्व वाल सहायक कंपनी है। समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी नहीं थी।

सार्वजनिक जमा राशि:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा को आमंत्रित नहीं किया है।

कंपनी के निरंतर आधार स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों के महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश

कंपनी के निरंतर आधार स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा काई महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों की जांच की गई थी और इसके अभिकल्प और प्रचालन में कोई महत्पपूर्ण तथ्यात्मक कमी नहीं देखी गई थी।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

सतर्कता तंत्र:

कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधान सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित हैं, जो कंपनी पर लागू नहीं हैं।

समझौता ज्ञापन:

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की है ।

कंपनी के बैंकर:

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का शाखा कार्यालय : प्रथम तल, पालिका भवन, आर.के. पुरम ब्लॉक बी, सेक्टर-13, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, जो कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता खोलने और सावधि जमा (एफडी) के रखरखाव के रूप में सेवाएं प्रदान करने के मामले में कंपनी का एममात्र बैंकिंग साझेदार है।

आभारोक्ति:

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता और सहयोग हेतु, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक एसोसिएट्स, कंपनी के लेखापरीक्षक और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कंपनी को दी गई मूल्यवान सहायता और सहयोग हेतु सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिबद्ध सेवाओं के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

औद्योगिक संरचना और विकास:

एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई अधिकतर राजमार्ग परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाएं या हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं हैं।

हाइब्रिड वार्षिकी (एचएएम) परियोजनाएं निर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से पीपीपी मॉडल में सड़क क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एचएमए हाइब्रिड - ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण) मॉडल और बीओटी (निर्माण, प्रचालन और अंतरण) मॉडल, दोनों का मिश्रण (हाइब्रिड) है। ईपीसी मॉडल के तहत, एनएचएआई सड़कों को बनाने के लिए निजी पक्षों को भुगतान करता है। निजी पक्ष की सड़क के स्वामित्व, टोल संग्रह या अनुरक्षण में कोई भूमिका नहीं है (इसका सरकार द्वारा ध्यान रखा जाता है)। एचएएम सड़क विकास की व्यवस्था बेहतर वित्तीय तंत्र की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। एचएएम एक अच्छा व्यापार है, जो विकासकर्ताओं और सरकार के बीच जोखिम को बांटता है। **बीओटी मॉडल** के अंतर्गत, निजी पक्ष सामान्यत 20 वर्ष (निर्माण अवधि सहित) की निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्माण, रखरखाव और टोल एकत्रण की जिम्मेदारी लेते हैं। इस 20 वर्षों के दौरान, सभी टोल एकत्रण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाता है और उसका अनुरक्षण उसके ही द्वारा किया जाएगा। 20 वर्षों की समाप्ति के पश्चात, सड़क का स्वामित्व एनएचएआई को सौंप दिया जाता है। इस मॉडल में निजी पक्ष निर्माण अवधि के दौरान सम्पूर्ण धनराशि का निवेश करते हैं और टोल एकत्रण के माध्यम से इस राशि (ब्याज लागत सहित) की वसूली की उम्मीद करते हैं। निजी पक्ष को सदैव आरंभिक रोकड़ निर्गम प्रवाह के संबंध में जोखिम बना रहा है।

इस जोखिम और अनिश्चितता को दूर करने के लिए, बीओटी मॉडल का एक वैकल्पिक रूप एचएएम मॉडल है। इस वार्षिकी मॉडल में, आम तौर पर एनएचएआई द्वारा टोल राजस्व जोखिम वहन किया जाता है, जबकि ठेकेदार को सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए पूर्व-निर्धारित वार्षिकी का भुगतान किया जाता है। एच.ए.एम विकासकर्ता और एनएचएआइ के बीच जोखिमों को कम करने के लिए मध्य दृष्टिकोण अपनाया है। केवल 60% का निवेश करके, विकासकर्ता या रियायतग्राही कंपनी परियोजना निर्माण लागत और संबंधित वित्तीय देनदारियों को वहन करने में सक्षम होता है। वार्षिकी भुगतान अनुरक्षण अवधि के दौरान विकासकर्ता को स्थिर नकदी प्रवाह सुनिश्चित करता है।

शक्तियां व कमजोरियां:

शक्तियां:

- एच.ए.एम (HAM) मॉडल के तहत एनएचएआई की अवसंरचनात्मक परियोजनाएं आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित हैं;
- विकासकर्ता की वित्तीय तरलता और वित्तीय जोखिम सरकार द्वारा साझा किया जाता है;
- टोल राजस्व जोखिम प्राधिकरण यथा एनएचएआई द्वारा वहन किया जाता है और इसप्रकार विकासकर्ता राजमार्ग के निर्माण और अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रित कर पाता है।

कमजोरियों:

- प्राकृतिक में परिवर्तन की संभावना रहती है।
- राजमार्गों से संबंधित निर्माण परियोजनाओं में समय पर परिणाम उत्पादन करने में दक्षता के संबंध समस्याएं आती हैं।

अवसर और जोखिम:

अवसर:

वार्षिकी सड़क परियोजना में कोई मांग जोखिम नहीं होता है और परियोजना एसपीवी में आमतौर पर एनएचएआई से एक निश्चित अर्ध-वार्षिक भुगतान प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में वित्तीय सुरक्षा है जो स्थिरता और संबंधित लाभप्रदता प्रदान करती है।

जोखिम:

चूंकि एनएचएआई 60:40 के अनुपात में एचएएम परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है, इसलिए परियोजना के पूरा होने के लिए समय पर धन प्राप्त करने के लिए निधियों की कमी हो सकती है और और यहां प्राय: वार्षिकी के भुगतान में देरी हो सकती है, जिससे तरलता की अव्यवस्था और समय मूल्य हानि दोनों हो सकती है, जिससे समय पर सेवा ऋण की क्षमता प्रभावित होती है।

प्रचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान प्रचालनिक और गैर-प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका I: वर्तमान वित्तीय स्थिति (रूपए लाख में)

	विवरण	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक
	राजस्व:	
I.	प्रचालनों से राजस्व	61,928.13
	अन्य आय	**31.80**
	कुल राजस्व	61,959.93
II.	**व्यय**:	
	प्रचालनिक लागत	61,927.71
	अन्य व्यय	0
	मूल्यह्रास	0.42
	कुल व्यय	61,928.13
III.	**करपूर्व लाभ (कुल राजस्व - कुल व्यय)**	31.79
	कराधान हेतु प्रावधान (चालू वर्ष)	9.87
	कराधान हेतु प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)	1.28
	आस्थगित कर	(3.35)
IV.	**करपश्चात लाभ/(हानि)**	23.99
V.	**कुल वृहत आय (लाभ(हानि) एवं अन्य वृहत आय सहित)**	23.99

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में तथा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधियां:

कंपनी ने धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्त किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को नियुक्त किया है और कंपनी के कंपनी सचिव को कार्यकारी कार्यों, वित्तीय मामलों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनों के कार्य हेतु खुले बाजार के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
के निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध– ख

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम**,** 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम**,** 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में**]**

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

	सीआईएन	U74999DL2018GOI334028
a)	**पंजीकरण तिथि**	16 मई 2018
	कंपनी का नाम	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	वडोदरा किम एक्सप्रेसवे (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सनपा से पेट्रा खंड) निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	**कंपनी का नाम व पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों**	**धारित शेयरों का प्रतिशत**	**लागू अनुच्छेद**
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	एल45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

** 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 09 नामितियों के पास हैं ।*

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01 अप्रैल 2019 को]				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2020 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	6000000	60000000	100%	शून्य	10000000	100000000	100%	66.67%
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**6000000**	**60000000**	**100%**	**शून्य**	**10000000**	**100000000**	**100%**	**66.67%**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**6000000**	**60000000**	**100%**	**शून्य**	**10000000**	**100000000**	**100%**	**66.67%**

 # निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 09 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01 अप्रैल 2019 को]			वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2020 को]			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**$**	6000000	100%	शून्य	10000000	100%	शून्य	66.67%
	कुल	**6000000**	**100%**	शून्य	**10000000**	**100%**	शून्य	**66.67%**

$ प्रमोटरों की शेयरधारिता: *कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 10,000,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है। अन्य 09 शेयरधारक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से शेयरों को धारित कर रहे हैं।*

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में 01 अप्रैल 2019 को शेयरधारिता		31 मार्च 2020 को वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	6000000	100%	6000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शेयरों के राइट इश्यु के माध्यम से दिनांक 19.09.2019 से प्रदत्त पूंजी में 60,00,000 से 10,00,00,000 तक वृद्धि			
3.	वर्ष के अंत में	10000000	100%	10000000	100%

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र. सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में	**लागू नहीं।**			
	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
	वर्ष के अंत में				

ङ.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में 01 अप्रैल 2019 को को शेयरधारिता		वर्ष के आरंभ में 31 मार्च 2020 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा				

(उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण /बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	**शून्य**
वर्ष के अंत में	

$"इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से" कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर और, श्री राजेन्द्र सिंह यादव और श्री सुरजीत दत्ता और श्री एस एल गुप्ता द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 शेयर धारित हैं।

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

(रुपए लाख में)

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-			
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन		18,100 रू		
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि		18,100 रू		
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)		18,100 रू		

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन	लागू नहीं	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं…		
5.	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (क) $		
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**	

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2) $		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

$ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक: वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी में चार अंशकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है। अंशकालीन निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

(रुपए लाख में)

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण #	प्रमुख प्रबंधकी कार्मिक					
		सीईओ			सीएस	सीएफओ	कुल
1		बी बी सिंह	एन जी असाटी	एम के सिंह			
	सकल वेतन	17.08	4.61	2.19	4.10	15.39	43.37
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन				-		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य				-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-			-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-			-	-	-
4	कमिशन						
	- लाभ के % के रूप में	-			-	-	-
	- अन्य, बताएं...	-			-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं	2.82	-	-	-	0.43	3.25
	-चिकित्सा लाभ (सेवानिवृत्ति पश्चात)	4.16	1.54	0.28	-	4.64	10.62
	- निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)				-	-	-
	- सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	2.36	0.89	0.31	0.48	2.14	6.18
	कुल	**26.38**	**7.04**	**2.78**	**4.58**	**22.6**	**63.42**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी / एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

* कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 179 (3) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति से संबंधित फॉर्म एमजीटी -14 को निर्धारित समय के भीतर फाइल नहीं किया गया था। यह ध्यान दिया जाए कि विलंब का क्षमा आवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीजी -1 के रूप में फाइल किया गया था।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
के निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : **नई दिल्ली**

निगमित शासन रिपोर्ट

निगमित शासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) एक नैतिकतापूर्ण व्यवसायिक प्रक्रिया है, जो एक संगठन की धन सृजन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों की प्रतिबद्ध है। सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी **"कॉर्पोरेट प्रशासन के उपायों"** के पालन पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाल को अपनाया जा सके और संव्यवहारों में पारदर्शिता को प्रभावी बनाया जा सके। हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा हमारे प्रबंधन और हमारे हितधारकों के साथ प्रभावी संबंधों को सुनिश्चित करता है और इस परिवर्तनशील समय के साथ विकसित होने में हमारी मदद करता है।

1. कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता के अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचना:-

दिनांक 31 मार्च, 2020 को कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद-54 के अनुसार, हमारे बोर्ड में चार सदस्य हैं, जिसमें सभी निदेशक हैं जिनकी नियुक्त धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) द्वारा की गई, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	निदेशक	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	कार्य मुक्ति की तिथि
1.	श्री श्याम लाला गुप्ता [डिन 07598920]	अंशकालीन अध्यक्ष	01.11.2019	-
2.	श्री दीपक सबलोक [डिन 03056457]	अंशकालीन अध्यक्ष	16.05.2018	31.10.2019
3.	श्री अशोक कुमार गोयल [डिन 05308809]	अंशकालीन निदेशक	16.05.2018	-
4.	श्री आनन्द कुमार सिंह [डिन 07018776]	अंशकालीन निदेशक	16.05.2018	04.09.2019
5.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव [डिन 07752915]	अंशकालीन निदेशक	16.05.2018	-
6.	श्री सुरजीत दत्ता [डिन 06687032]	अंशकालीन निदेशक	05.09.2019	-
7.	सुश्री अनुपम बेन [डिन 07797026]	अंशकालीन निदेशक	16.05.2018	30.08.2019

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (बोर्ड और उसके शक्तियों की बैठक) नियमों, 2014 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है। किसी विशिष्ट तत्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कभी-कभी अल्प सूचना पर भी बैठकें का आयोजन किया जाता है। आपत स्थितियों या तात्कालिकता के मामले में, परिपत्रण द्वारा संकल्प भी पारित किए जाते हैं। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड की दस बैठके आयोजित की गईं। पहली बैठक दिनांक 08.04.2019 को हुई थी और तत्पश्चात बैठकें दिनांक 02.05.2019, 29.07.2019, 19.09.2019, 16.10.2019, 24.10.2019, 29.11.2019, 18.12.2019, 27.01.2020 और 17.03.2020 को आयोजित की गई।

नीचे दी गई तालिका में बोर्ड की बैठकों की संख्या दर्शाई गई है, जिसमें निदेशक और पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शामिल है। इसमें वर्ष 2019-20 के दौरान उनके द्वारा अन्य निदेशक पदों / समिति के सदस्यों की बैठकों को भी दिखाता है:

निदेशक का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति रहे	एजीएम में उपस्थिति (26.08.2019 को आयोजित)	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद	सार्वजनिक कंपनियों से इतर धारित समिति पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
श्री श्याम लाल गुप्ता (01.11.2019 से)	4	4	लागू नहीं	8 [इरकॉन सीईडब्ल्यूआरएल,सीईआरएल, एमसीआरएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल, बीआरपीएल]	0	3
श्री दीपक सबलोक (31.10.2019 तक)	6	6	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अशोक कुमार गोयल	10	10	हां	5 [इरकॉनआईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल, आईएसटीपीएल]	3	2
श्री आनन्द कुमार सिंह (04.09.2019 तक)	3	3	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	10	9	हां	3 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल]	-	1
सुश्री अनुपम बेन (30.08.2019 तक)	3	3	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

श्री सुरजीत दत्ता (05.09.2019 तक)	7	6	लागू नहीं	3 [इरकॉनआईएसएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल]	1	2

टिप्पणियाँ:

1. सुश्री अनुपम बान ने 30.08.2019 को कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से नामित शेयरधारक के रूप में उनके द्वारा धारित 100 शेयरों को श्री बसंत कुमार को पृष्ठांकित किया गया है।

   (दिनांक 29 जुलाई 2020 के अनुसार, इरकॉन ने श्री बसंत कुमार, जो तत्कालीन कार्यपालक निदेशक/सीसी थे, के स्थान पर श्री बी.बी मुगुंथन, सीजीएम (वित्त-निर्माण) को नामित किया है और श्री बसंत कुमार के पास धारित शेयरों को श्री बी.बी. मुगुंथन को पृष्ठांकित किया गया है।)

2. श्री आनंद कुमार सिंह, दिनांक 04.09.2019 से कंपनी के निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए हैं और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से नामित शेयरधारक के रूप में उनके पास धारित 100 शेयरों को श्री सुरजीत दत्ता को पृष्ठांकित किया गया है।

3. श्री दीपक सबलोक दिनांक 31.10.2019 कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक के पद से पदमुक्त हो गए हैं।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।

5. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

6. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।

7. निदेशक पद / समिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

8. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा समितियों के सदस्यों पर विचार किया गया है।

9. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।

10. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:

क) इरकॉन - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

ख) इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड

ग) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड

घ) इरकॉनपीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

ड.) इरकॉनएसजीटीएल - इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

च) सीईआरएल - छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड

छ) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड

ज) एमसीआरएल - महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

झ) इरकॉनवीकेईएलल - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ट) इरकॉनडीएचएचएल - इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

ड) बीआरपीएल - बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड

3. बोर्ड की समितियां

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उनके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 और 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 19 सितंबर, 2019 को आयोजित 10वीं बोर्ड बैठक में लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। ।

3.1 संरचना:

दिनांक 31 मार्च 2020 तक, समितियों में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

निदेशक का नाम	लेखापरीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
श्री अशोक कुमार गोयल (19.09.2019 से)	सदस्य	अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र सिंह यादव (19.09.2019 से)	सदस्य	सदस्य
श्री सुरजीत दत्ता (19.09.2019 से)	अध्यक्ष	सदस्य

कंपनी सचिव इन समितियों की सचिव हैं।

* नोट: समितियों अर्थातयानी ऑडिट कमेटी और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन 19 सितंबर, 2019 को किया गया था और 17 मार्च, 2020 से प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया था।

3.2 बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ऑडिट समिति की चार बैठकें हुईं। पहली बैठक 16 अक्टूबर, 2019 और उसके बाद क्रमशः 24 अक्टूबर, 2019, 18 दिसंबर, 2019 और 27 जनवरी, 2020 को हुई थी। सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है: -

समिति के सदस्य	लेखापरीक्षा समिति	
	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें उपस्थिति रहे
श्री सुरजीत दत्ता, अध्यक्ष	**4**	**4**
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य	**4**	**4**
श्री अशोक कुमार गोयल, सदस्य	**4**	**4**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 29 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा भाग ली गई नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक का विवरण निम्नानुसार है: -

समिति के सदस्य	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	
	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें उपस्थिति रहे
श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष	**1**	**1**
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य	**1**	**1**
श्री सुरजीत दत्ता, सदस्य	**1**	**0**

साधारण बैठकें

पिछले दो वर्षों 19 के दौरान शेयरधाराकों की बैठकों का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-2: साधारण बैठकें

क्र.सं	शेयरधारक बैठकों का प्रकार	बैठक की तिथि	समय	स्थल	विशेष कार्य संव्यवहार हेतु
1.	प्रथम असाधारण साधारण बैठक (ईजीएम)	23 जुलाई 2018	10:30 बजे	कंपनी पंजीकृत कार्यालय दिल्ली	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 180(1)(ग) के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों से ऊपर कंपनी की ऋण लेने की शक्तियां
1.	प्रथम वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)	26 अगस्त 2019	03:00 अपराह्न	कंपनी पंजीकृत कार्यालय दिल्ली	-

* नोट: विशेष व्यवसाय संव्यवहार के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के समापन के पश्चात दिनांक 13 अप्रैल 2020 को आयोजित दूसरी असाधारण आम बैठक (ईजीएम)।

3. <u>31 मार्च, 2020 तक शेयरधारिता</u>:

शेयरधारकों का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रत्येक 10 रूपए के	धारित का %
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)	9,999,100	99.99
अशोक कुमार गोयल *	100	नगण्य
श्याम लाल गुप्ता *	100	नगण्य
योगेश कुमार मिश्रा *	100	नगण्य
सुरजीत दत्ता *	100	नगण्य
पराग वर्मा *	100	नगण्य
सुभाष चंद *	100	नगण्य
बसंत कुमार *	100	नगण्य
राजेंद्र सिंह यादव *	100	नगण्य
सुश्री भुवनेश्वरी के. *	100	नगण्य
कुल	**1,00,00,000**	**100**

6. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है ताकि विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीति का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में रिपोटों को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

7. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (इस रिपोर्ट में **अनुबंध-ग1** के रूप में प्रस्तुत)।

8. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, 1005, रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 से प्राप्त किया गया है और **अनुबंध-सी2** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : **नई दिल्ली**

अनुबंध-ग-I

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन (सीएफओ)

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:-

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/**	**ह/**
श्री आर एस यादव	**श्री सुरजीत दत्ता**	**श्री राज कुमार**
निदेशक	**निदेशक**	**मुख्य वित्त अधिकारी**

दिनांक: 24.06.2020
स्थान: नई दिल्ली

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देश (डीपीई), 2010 के अंतर्गत निगमित शासन की की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में

कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने से संबंधित। हालांकि, यह ज्ञात है कि चूंकि कंपनी का गठन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में किया गया है, जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त से छूट प्राप्त है और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी 11 जुलाई 2019 और 08 जुलाई 2014 के कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में त्रैमासिक रिपोर्ट और अन्य अनुपालनों के संबंध में धारक कंपनी अर्थात इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने दिनांक के ई-मेल के माध्यमसे पुष्टि की है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने दिनांक 17 मार्च 2020 को लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति को भंग कर दिया है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं.- 5086
यूडीआईएन: F005551B000579949

स्थान: नई दिल्ली
दनांक: 14.08.2020

अनुबंध"क"

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु)

****

1. आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार का ब्यौरा : शून्य
2. आर्म लैंथ आधार पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं या संविदाओं का ब्यौरा : निम्नानुसार:

क्र.सं	**संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति**	**संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि**	**मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो**	**इरकॉन वीकेईएल द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त/प्रदत्त राशि**
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) (धारक कंपनी)	**(क) ईपीसी करार का निष्पादन** **(ख)सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना**	ईपीसी करार के निष्पादन की तिथि: 19.11.2018 **अवधि:** ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारासूचित नियुक्ति तिथि से 730 है। तिथि: पट्टा करार तिथि 09.08.2018 अवधि:17.05.2018 से तीन वर्ष हेतु	परियोजना की कुल लागत 1377.73 करोड़ रूपए है। किराया: पट्टा किराया @ 65 वर्ग फुट x 297 प्रति वर्ग फुट जो मासिक आधार पर प्रभारित है यथा रू. 19,305, जो नवीकरण पर 10 प्रतिशत के संवर्धन और निगमित कार्यालय के भीतर पट्टा प्रभारों सहित है।	लागू नहीं	शून्य

		ग. ईपीसी समझौते के लिए परिशिष्ट-I (ईपीसी के भुगतान अनुसूची में संशोधन के लिए अनुमोदन समझौता) और परिशिष्ट II से ईपीसी समझौता (ईपीसी के भुगतान अनुसूची में संशोधन के लिए अनुमोदन समझौते)	लागू नहीं।	ईपीसी समझौते के परिशिष्ट को 1,543.06 (जीएसटी @ 12% सहित) की परियोजना की मूल लागत को बनाए रखते हुए भुगतान अनुसूची में परिवर्तन को शामिल करने के लिए निष्पादित किया गया है।	तिथि: 29.07.2019 व 18.12.2019	शून्य

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
श्याम लाल गुप्ता
अध्यक्ष
डीआईएन: 07598920

दिनांक : 19.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड, के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दें पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने हेतु कोई प्रमुख लेखापरीक्षा विषय नहीं है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन निरंतर आधार, प्रकटन, यथा अपेक्षित, निरंतर आधार संबंधी मुद्दोंऔर लेखांकन के निरंतर आधार के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा में पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।

- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय निंयत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो निरंतर आधार के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम ये भी उल्लेख करते हैं कि स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, समेकित की गई विवरण के शासन को प्रभारित करने और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को सम्प्रेषित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के संबंध में युक्तिसंगत हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को प्रभारित करते हैं।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ पल्ला झुकना।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद-133 के नियम-7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ड.) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(च) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-164(2) का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

ii. डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

ii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	कंपनी ने अपनी धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण लिया है। यहां ऋण/उधार/ ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है।

कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 002249N

सीए राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन - 19093114एएएएएयू1590

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5(1) के संदर्भ में अनुबंध-क।

1. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है, जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।
   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे विचार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।
   (ग) लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है।

2. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के प्रावधान लागू नहीं है।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा-3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

4. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

5. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम की धारा- 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

6. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148(1) के तहत आवश्यक लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

7. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और

अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2020 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें दिनांक 31.03.2020 को विविद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।

सांविधि का नाम	**विवादित देय रशियों की प्रकृति**	**बकाया राशि (करोड़ रूपए में)**	**अवधि जिससे राशि संबंधित है**	**मंच जहां विवाद लंबित है**
शून्य				

8. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (viii) लागू नहीं है। **तथापि, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान धारक कंपनी, इरकॉन से 18100 लाख रूपए का ऋण लिया है।**

9. कंपनी ने किसी पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यमों सहित) से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (ix) लागू नहीं है। **तथापि, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान धारक कंपनी, इरकॉन से 18100 लाख रूपए का सावधि ऋण लिया है।**

10. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

11. दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसूचना सं. 463(ई) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

12. निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। **तथापि, कंपनी ने संगत वित्तीय वर्ष के दौरान राइट इश्यु के माध्यम से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से 400 लाख रूपए की शेयर पूंजी प्राप्त की है।**

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिरियम, 2013 के अनुच्छेद-192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

16. कंपन गैर-बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 002249N

राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन - 19093114एएएएएयू1590

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड-143 के उप खंड-3 के खंड-(i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2020 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते एन.सी. राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 002249N

राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन - 19093114एएएएएयू1590

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जून 2020

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U74999DL2018GOI334028
31 मार्च 2020 को तुलनपत्र

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 का	
I.	परिसंपत्तियां					
1	गैर चालू परिसंपत्तियां					
	(क) परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	0.89		0.59	
	(ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य		-		-	
	(ग) निवेश परिसंपत्तियां		-		-	
	(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
	(ङ.) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
	(च) परिसंपत्ति उपयोग का अधिकार		-		-	
	(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां	4				
	(i) निवेश		-		-	
	(i) ऋण	4.1	-		0.66	
	(ii) अन्य	4.2	6,185.55		-	
	(ज) आस्थगित कर परिसपत्तियां (निवल)	5	5.46		2.10	
	(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		-		-	
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां			6,191.89		3.35
2	चालू परिसंपत्तियां					
	(क) दरसूचियां		-		-	
	(ख) वित्तीय परिसिंपतियां	6				
	(i) निवेश		-		-	
	(ii) व्यापार प्राप्य	6.1	11,461.22		-	
	(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	6.2	370.99		390.27	
	(ivi)अन्य बैंक शेष	6.3	-		-	
	(iv) ऋण	6.4	0.20		0.68	
	(v) अन्य	6.5	26,643.11		103.38	
	(ग) चालू परिसंपत्तियां (निवल)	7	833.41		-	
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8	13,459.23		148.13	
	(ङ.) बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां		-		-	
	कुल चालू परिसंपत्यिां			52,768.17		642.46
	कुल परिसंपत्यिां			**58,960.06**		**645.81**
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	1,000.00		600.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	10	12,605.98		4.99	
	कुल इक्विटी			13,605.98		604.99
2	देयता देयताएं					
(i)	गैर- चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) ऋण	12.1	18,100.00		-	
	(ii) व्यापार देय					
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को कुल बकाया देय		-		-	
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय		-		-	
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12.2	708.32		-	
	(ख) प्रावधान		-		-	
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं		-		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			18,808.32		-
(ii)	चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं	13				
	(i) व्यापार देय	13.1				
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय		-		-	
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय		16,498.43		36.67	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13.2	3.87		0.31	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	14	10,043.47		0.46	
	(ग) प्रावधान		-		-	
	(घ) चालू कर देयता (निवल)	15	-		3.38	
	कुल चालू देयताएं			26,545.76		40.82
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**58,960.06**		**645.81**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 37				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-

राहुल गोयल
साझेदार
स.सं: 093114

यूडीआईएन: 20093114एएएएएयू1590

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-
(सुरजीत दत्ता)
निदेशक
डीआईएन: 06687032

ह/-
(आर.एस.यादव)
निदेशक
डीआईएन: 07752915

ह/-
(एस.एल.गुप्ता)
निदेशक
डीआईएन: 07598920

ह/-
(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(रिची महाजन)
कंपनी सचिव

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U74999DL2018GOI334028
31 मार्च 2020 हेतु लाभ और हानि विवरण

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालनों से राजस्व	16	61,928.13	100.85
II.	अन्य आय	17	31.80	6.74
III.	**कुल आय (I + II)**		**61,959.92**	**107.59**
IV.	व्यय:			
	परियोजना एवं अन्य व्यय	18	61,028.24	32.54
	कर्मचारी लाभ व्यय	19	156.09	43.82
	वित्तीय लागते	20	743.38	14.15
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि	21	0.42	0.01
	अन्य व्यय		-	-
	प्राथमिक व्यय			10.32
	कुल व्यय (IV)		**61,928.13**	**100.85**
V.	आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)		31.79	6.74
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		31.79	6.74
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु		9.87	3.86
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		1.28	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)		(3.35)	(2.10)
	कुल कर व्यय		7.80	1.75
IX	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)**		**23.99**	**4.99**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII	**अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX+XII)**		**23.99**	**4.99**
X	**अन्य वृहत आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
XI	**अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं)**		**23.99**	**4.99**
	अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं)			
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी			
	(निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	31	0.30	0.28
	(2) विलयित		0.30	0.28
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 37		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
राहुल गोयल	**(सुरजीत दत्ता)**	**(आर.एस.यादव)**	**(एस.एल.गुप्ता)**
साझेदार	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
स.सं: 093114	**डीआईएन: 06687032**	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 07598920**

ह/- **ह/-**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

(रिची महाजन)
कंपनी सचिव

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U74999DL2018GOI334028
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कराधान पश्चात निवल लाभ		31.79	6.74
समायोजन			
मूल्यह्रास परिशोधन तथा हानि		0.42	0.01
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		0.07	-
निवेशों की बिक्री पर लाभ		629.75	
ब्याज आय		31.78	(5.04)
चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	(1)	**693.81**	**1.72**
समायोजन:			
व्यापार प्राप्य/वित्तीय परिसंपत्ति - ऋणों व अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)		(11,461.22)	(1.34)
अन्य परिसंपत्तियों एवं वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(46,036.27)	(250.22)
व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि)		17,170.08	36.67
अन्य देयताओं वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)		10,046.56	0.77
	(2)	**(30,280.85)**	**(214.12)**
प्रचालन से अर्जित रोकड़	(1+2)	**(29,587.04)**	(212.40)
प्रदात्त आयकर		(847.95)	(0.48)
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	**(30,434.99)**	**(212.88)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
सीडब्यूआईसी सहित परिसंपत्ति , संयंत्र और मशीनरी की बिक्री		(1.19)	(0.60)
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		0.40	
प्राप्त ब्याज		(30.75)	3.75
बैंक जमा (निवेश) /परिपक्वता (तीन महीने से अधिक की परिपक्वता वाले)		-	
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	(ख)	31.54	**3.15**
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़			
इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना		400.00	600.00
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण		18,100.00	-
ऋण पर ब्याज व्यय		(629.75)	
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ब्याज मुक्त अग्रिम की प्राप्ति		12,577.00	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(ग)	**30,447.25**	**600.00**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	-	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से निवल कम	(क+ख+ग+घ)	**(19.28)**	**390.27**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)*	(ड.)	**390.27**	-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (अंतिम)*	(च)	**370.99**	**390.27**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य से निवल वृद्धि(कम)	(च -ड.)	**(19.28)**	**390.27**

नोट : 1. उपर्युक्त रोकड प्रवाह विवरण को भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस-7)- रोकड प्रवाह विवरण में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है। -

3. जहां कही आवश्यकता हुई पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःलेखांकित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
राहुल गोयल	**(सुरजीत दत्ता)**	**(आर.एस.यादव)**	**(एस.एल.गुप्ता)**
स.सं: 093114	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
	डीआईएन: 06687032	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 07598920**

	ह/-	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली		
दिनांक: 24.06.2020	**(राज कुमार)**	**(रिची महाजन)**
	मुख्य वित्त अधिकारी	**कंपनी सचिव**

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
सीआईएन - U7499DL2018GOI334028
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

(रुपए लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2018 को शेष	0
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	600
31 मार्च 2019 को शेष	**600**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	400
31 मार्च 2020 को शेष	**1,000**

ख. अन्य इक्विटी
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2018 को शेष	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति एंव पर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2018 को शेष (पन निर्धारित)	-	-	-	-	-
वर्ष हेत लाभ	-	4.99	-	-	**4.99**
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-	-	-	-	-
वर्ष हेत कुल वृहत आय	-	**4.99**	-	-	**4.99**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	-	**4.99**	-	-	**4.99**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निध	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी रिडैम्पशन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर	
1 अप्रैल 2019 को शेष	-	**4.99**	-	-	**4.99**
लेखांकन नीति एंव पर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-		-	-	-
1 अप्रैल 2019 को शेष (पन निर्धारित)	-	**4.99**	-	-	**4.99**
वर्ष हेत लाभ (पन निर्धारित)	-	23.99	-	-	**23.99**
वर्ष के लिए संवर्धन			12,577.00		**12,577.00**
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	-		-	-	-
वर्ष हेत कुल वृहत आय	-	**23.99**	**12,577.00**	-	**12,600.99**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-
लाभांश संवितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	-	**28.98**	**12,577.00**	-	**12,605.98**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-

राहुल गोयल
स.सं: 093114

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-	ह/-	ह/-
(सुरजीत दत्ता)	(आर.एस.यादव)	(एस.एल.गुप्ता)
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन: 06687032	डीआईएन: 07752915	डीआईएन: 07598920

ह/-

(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-

(रिची महाजन)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.06.2020

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

1. कंपनी का परिचय

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल**)** सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड **(**इरकॉन**)** की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । इरकॉन वीकेईएल **(**सीआईएन **U**74999**DL**2018**GOI**33402) का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम**,** 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब **"**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई**I)** द्वारा रियायत समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार इरकॉन को गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के चरण- **VI** के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (चरण **I**क**-** पैकेज **II)** के तहत किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सपना से पेद्रा खंड तक) का आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का काम सौंपा गया था। । "अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार**,** चयनित बोलीदाता **'**इरकॉन**'** ने दिनाक 16 मई**,** 2018 को शामिल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार**,** इरकॉनवीकेईएल 1865 करोड़ परियोजना मूल्य की राशि के लिए 25 मई**,** 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत की अवधि एनएचएआई द्वारा अधिसूचित अनुसार नियत तारीख से शुरू होने वाली 730 दिन है अर्थात दिनांक 31 जनवरी**,** 2019 को। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **C**-4**,** डिस्ट्रिक्ट केंद्र**,** साकेत**,** नई दिल्ली- 110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकडों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा और अन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोडकर।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 24.06.2020 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी क निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण निरंतर आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2..2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

- किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :
- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,

- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) स्वीकृति मापदंड पूरे किए जाने पर मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	**उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6

कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.4 राजस्व स्वीकृति

कंपनी इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण और प्रचालन और अनुरक्षण सेवाओं से राजस्व को स्वीकार कराती है और मापन करती है।

कंपनी एक ही समय या उसके आसपास के समय में समान ग्राहकों के साथ प्रविष्ट दो या अधिक संविदओं को एक ही ग्राहक के संयोजित करती है और उन संविदाओं के लिए एकल संविदा के रूप में लेखांकन करती है, यदि संविदाएं एकल कामर्शियल उद्देश्य या एक संविदा में भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि अन्य संविदा या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर करती है के साथ पैकेज के रूप में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में निष्पादित हो।

संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे जीएसटी और इसे परिवर्ती धराशि के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है।
संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।

कंपनी परिवर्ती धनराशि हेतु राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभावना है कि संचयी रूप से स्वीकृत राजस्व राशि में कोई महत्वपूर्ण व्युत्क्रम उत्पन्न नहीं होगा। कंपनी सर्वाधित संभावित राशि पत्रति का प्रयोग करके परिवर्ती धनराशि के रूप में राजस्व अनुमान राशि को स्वीकार करेगी।

इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है। कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:
ख) ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।

ग) इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।
घ) इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है। तथाति, जहाँ कंपनी किसी निष्पादन बाध्यता के परिणाम को यथोचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को संभावना है कि वह निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूलेगी, कंपनी ऐसे समय तक किए गए लागतों की सीमा तक ही राजस्व को स्वीकार करेगी। यह यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को माप सकता है।

संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।

संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टेंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

क. संविदा शेष

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।

- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व** : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ख. अन्य आय

लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

विविध आय को तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है!

2.2.5 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.6 कर

(क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति

लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

2.2.7 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

2.2.8 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ और रोकड समतुल्य में उपलब्ध रोकड, बैंकों में रोकड और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकाली सावधि जमा राशियांजो ज्ञात रोकड राशिके लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड और रोकड समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

2.2.0 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में स्वीकृत होता है।

2.2.10 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

(क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तक्रसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बह्रिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.11 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की

प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा लेखांकन हेतु समायोजन किया है, जो दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है, और सभी संबंधित आंकड़ों को पुनःवगीकृत/पुनःसमूहित किया गया है ताकि इंड एएस 116 के अपेक्षाओं को प्रभावी बनाया जा सके।

2.2.12 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापना की गई परिसम्पतियों के अतिरिक्त) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है, और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीटी) का भुगतान है।

  ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किया गया है:

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस–109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया हैः

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस–116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस–115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया हैः

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल दृष्टिकोण की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृत

वित्तीय परिसंपत्तियां (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्त्यिों का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तिया के समूह का भाग) को अस्वीकार केवल तब किया जाता है जब परिसंपत्त्यिों से रोकड प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वित्तीय परिसंपत्तियां अंतरित हो जाती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति के सभी जोखिम और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी प्रतिफल भी अंतरित हो जाता हैं।

वह मूल्य और प्राप्त/प्राप्य लाभ राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

  कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता

के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस–109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी–कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.13 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है।

उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.14 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.15 प्रचालनिक सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.2.16 प्रति शेयर आमदनियां

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.2.17 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ग) निर्धारित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति पूर्व लाभ दायित्वों का लागतों का निर्धारण इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेउ द्वारा बीमांकक मूल्यांकनों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन में विभिनन अनुमानों का निर्धारण शामिल है, जो भविश्य की वास्तविग गतिविधियों से भिन्न हो सकता है। इसमें रियायत दर, भावी वेतन वृद्धि, मत्यु दर तथा भावी पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकनों और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, निर्धारित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति उच्च संवेदनशील है। इन सभी अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

(ख) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधी जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(ग) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता

इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(घ) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य

में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(ड.) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(च) पट्टा – संवर्धात्मक ऋण दर

कंपनी तत्परता के साथ पट्टे में निर्धारित ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकती है। इसलिए, वह पट्टा देयताओं का निर्धारण करने के लिए अपने संवर्धात्मक ऋण ब्याज (आईबीआर) का प्रयोग करती है। आईबीआर वह ब्याज दर है जो कंपनी को समान अवधि में ऋण हेतु भुगतान करना होता है, और समान प्रतिभूति के साथ, जिसका प्रयोग समान आर्थिक वातावरण में परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक निधि के लिए होता है।

(छ) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(ज) राजस्व स्वीकृति

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है, जो 2.2.4 पर उपलब्ध है, जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

इनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3 परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रूपए लाख में)

फ़ुट नोट	**कम्प्यूटर**	**कुल**
सकल वहन मूल्य (लागत पर)		
31 मार्च 2018 को		-
संवर्धन	0.60	0.60
निपटान/समायोजन		-
परिसंपत्ति उपयोग अधिकार का अंतरण		-
बिक्री के लिए धारित संपत्ति का अंतरण		-
विनियम लाभ/(हानि)		-
31 मार्च 2019 को	**0.60**	**0.60**
		-
31 मार्च 2019 को	**0.60**	**0.60**
संवर्धन	1.19	1.19
निपटान/समायोजन	-0.60	-0.60
31 मार्च 2020 को	**1.19**	**1.19**
मूल्यह्रास और हानि		
31 मार्च 2018 को		-
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	0.01	0.01
संवर्धन		-
निपटान/समायोजन		-
31 मार्च 2019 को	**0.01**	**0.01**
		-
01 अप्रैल 2020 को		**0.01**
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	0.42	0.42
संवर्धन		-
निपटान/समायोजन	-0.13	-0.13
31 मार्च 2020 को	**0.30**	**0.30**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2020 को	**0.89**	**0.89**
31 मार्च 2019 को	**0.59**	**0.59**

4 वित्तीय परिसंपत्तियां

4.1 गैर चालू परिसंपत्तियां - ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
क) वसूली योग्य - रक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	0.66
ख) वसूली योग्य - अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों का ऋण:	-	
(ii) अन्य:		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-
कुल	**-**	**0.66**

4.2 गैर चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
क) वसूली योग्य - अरक्षित		
संविदा परिसंपत्तियां :		
- बिल योग्य राजस्व/प्राप्य किन्त् देय नहीं	6,185.55	-
कुल	**6,185.55**	**-**

5 अस्थगित कर परिसंपत्तियों और आय कर

इंड एएस 12 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आय कर:		
	चालू आय कर प्रभा	9.87	3.86
	पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	1.28	-
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के समायोजन एंव प्रतिक्रम से संबंधित	-3.35	-2.10
	लाभ और हानि खंड में प्रस्तत आयकर व्यय	**7.80**	**1.75**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	ओसीआई खंड में प्रस्तत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 के लिए भारत के घरेलू कर दर दवारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	31.80	6.74
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	25.168%	26.000%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	8.00	1.75
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	1.28	-
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय		
	अन्य देशों के अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	4.15	2.68
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	-5.63	-2.68
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तत आयकर व्यय**	**7.81**	**1.75**
6	प्रभावी कर दर	24.55%	26.00%

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) और देयताएं

क्र.सं.	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-0.09	-0.04	-0.05	-0.04
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	1.56	2.15	-0.59	2.15
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	3.99	-	3.99	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयक्त लाभ/हानि	-	-	-	
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**5.46**	**2.10**	**3.35**	**2.10**

(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	5.55	2.15
2	आस्थगित कर देयताएं	-0.09	-0.04
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं) (निवल)	**5.46**	**2.10**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :

31 मार्च 2020 को

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	(0)	(0)		(0)
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	2	(1)		2
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	4		4
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।				-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन				-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि				-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	2	3	-	5

31 मार्च 2019 को

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2018 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2019 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	-	(0)		(0)
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	-	2		2
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-		-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-		-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन				-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयक्त लाभ/हानि				-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	-	2	-	2

6 चालू परिसंपत्यिां वित्तीय परिसंपतियां

6.1 चालू वित्तीय परिसंपतियां व्यापार प्राप्य

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
वसूली योग्य : अरक्षित	11,461.22	-
संदिग्ध समझे गए: अरक्षित	-	-
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि प्रावधान	-	-
कुल	**11,461.22**	-

6.2 चालू वित्तीय परिसंपतियां - रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उपलब्ध रोकड		-	-
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट		-	-
पारगमन में प्रेषण		-	-
*बैंकों में शेष**			
चालू खाता		1.04	0.27
फ्लैक्सी खाता		29.00	390.00
तीन महीने से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि		340.95	-
		370.99	**390.27**

6.3 चालू वित्तीय परिसंपतियां - अन्य बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अन्य बैंक शेष		
तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कमी की मूल परिवक्वता वाली जमा राशि	-	-
	-	-

6.4 चालू वित्तीय परिसिंपतियां - ऋण

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. वसूली योग्य रक्षित		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	0.48
ख. अरक्षित, वसूली योग्य		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
(ii) अन्य:		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.20	0.20
कुल	**0.20**	**0.68**

*निदेशकों से देय राशि का विवरण

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ के ऋण व अग्रि से संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि		
कुल	-	-

6.5 चालू परिसंपत्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
वसूली योग्य : अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां		
-सरकारी विभाग	-	-
-अन्य	-	0.10
बयाना जमा राशि	-	-
संचित ब्याजः		
स्टाफ को अग्रिम	-	1.15
-संबंधित पक्षों को ऋण	-	-
- बैंक में जमा राशियां	0.26	1.29
-बांड	-	-
संविदागत परिसंपत्तियां :		
- बिल योग्य राजस्व/प्राप्त किन्तु देय नहीं	26,642.86	100.85
कुल	**26,643.11**	**103.38**

7 **चालू परिसंपत्तियां - चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)**

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)	833.41	
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**833.41**	-

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
प्रदत्त करः		
आयकर - टीडीएस	843.28	-
घटाः कर हेतु प्रावधान	-9.87	-
कुल	**833.41**	**-**

8 अन्य चालू परिसंपतियां

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित			
पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम			
ठेकेदारों आपूर्तिकर्ताओं व अन्यों को अग्रिम		9,583.81	76.50
वसूली योग्य अग्रिम			
वस्तु एवं सेवा कर		3,822.47	8.98
संचित ब्याज			
ठेकेदार, अपूर्तिकर्ता एवं अन्य के पास जमा राशि व अग्रिम		-	-
पूर्व प्रदत्त व्यय		52.95	62.66
उचित मूल्य समायोजन		-	-
संदिग्ध समझे गए: अरक्षित		-	-
कुल		**13,459.23**	**148.13**

9 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
जारी/अंशदायी एवं प्रदत्त शेयरपूंजी 1,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए (31 मार्च 2019 को 10 रूपए के पूर्णत् प्रदत्त 40,00,000 इक्विटी शेयर)	1,000	600.00
	1,000	600.00

(क) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरों की शेयरधारिता का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी-इरकॉन)	100,000,000	**100.00%**	60,000,000	**100.00%**

(ख) रिपोर्टिंग अवधि से तत्काल पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रूप में जारी शेयर, रोकड़ से इंतर जारी किए गए इक्विटी बायबैक किए गए शेयरों की समग्र संख्या।

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-
बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-
इक्विटी शेयर बायबैक	-	-
कुल	-	-

(ग) इक्विटी शेयरों से संबद्धशर्तें/अधिकार:

(क) मतदान :

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रुपये का सममूल्य मूल्य है।इक्विटी शेयर का

(ख) परिसमापन:

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चांत, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) लाभांश :

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन में अध्याधीन है।

(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में	शेयरों की संख्या	लाख रूपए में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	60,000,000	6,000	-	-
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	40,000,000	4,000	60,000,000	6,000
घटाः वर्ष के दौरान बाय बैक शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर	**100,000,000**	**10,000**	**60,000,000**	**6,000**

10 अन्य इक्विटी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिधारित आमदनी	28.98	4.99
सामान्य आरक्षित निधि	-	-
अन्य आरक्षित निधि	12,577.00	-
अन्य वृहत आय	-	-
कुल	**12,605.98**	**4.99**

(ख) अन्य आरक्षित निधि

सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि	-	
घटाः लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	-	
कुल	-	

i) **निम्नानसार संचलनः**

(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	4.99	-
जमाः इंड एएस समायोजन		-
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	23.99	4.99
समापन शेष	**28.98**	**4.99**

(ख) आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
जमाः प्रतिधारण आय से अंतरण	-	-
आरंभिक और समापन शेष	-	-
(ग) अन्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
जमाः वर्ष के दौरान संवर्धन	12,577.00	-
आरंभिक और समापन शेष	**12,577.00**	-
(घ) अन्य वृहत आय		
आरंभिक शेष	-	-
ओसीआई के माध्यम से ऋण उपकरण	-	-
वर्ष के दौरानविदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	-	-
समापन शेष	-	-
सकल योग (क+ख+ग+घ)	**12,605.98**	**4.99**

ii) **अन्य आरक्षिति निधियों की प्रकृति और प्रयोजन**

(क) प्रतिधारित आमदनियां

कंपनी के अवितरित लाभों को प्रस्तुत करती प्रतिधारित आमदनियां

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि को दर्शाता है, जो कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक भाग सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है। कंपनीअधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य आरक्षित निधि के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

(ग) अन्य आरक्षित निधि

कंपनी ने इरकॉन, धरक कंपनी से ब्याज मुक्त अग्रिम प्राप्त किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वहृत आय विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष को प्रदर्शित करता है।

12 गैर-चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

12.1 गैर-चालू वित्तीय देयताएं - ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अरक्षित			
धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण)	-	18,100.00	
कुल		**18,100.00**	-

नोट

(क) **अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें :**

सावधिक ऋण का पुनर्भुगतान निर्धारित तिमाही किश्तों में10.5 वर्षों में किया जाएगा जो 01 अप्रैल 2021 से आरंभ होगी।

(ख) **ब्याज की दर :**

कंपनी एसबीआई की एक वर्ष की एमसीआरएल बेस रेट और समय-समय पर प्रचलित 0.50% ("लागू ब्याज दर")की दर से, ऋण की मूल राशि पर ब्याज और समय-समय पर बकाया भुगतान करेगी। (लागू ब्याज कर, सेवा कर और / या इस तरह के किसी भी अन्य कर / लेवी / कर्तव्यों के अनन्य)। इस तरह के करों / लेवी / कर्तव्यों, यदि कोई हो, लागू, उधारकर्ता को उधारकर्ता द्वारा देय (उसी तरीके और समय और मूलधन और ब्याज के रूप में) देय होगा।

12.2 गैर चालू देयताएं- अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	708.32	-
कुल	**708.32**	-

13 चालू देयताएं - वित्तीय देयताएं

13.1 चालू वित्तीय देयताएं - व्यापार प्राप्य

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	37.99	24.85
(ii) संबंधित पक्ष - इरकॉन	16,460.44	11.82
कुल	**16,498.43**	**36.67**

नोट

क) कंपनी अधिनियम, 2013/ सूक्षम, लघु एवं मध्यसम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 36 पर उपलब्ध हैं।

ख) संबंधित पक्षों से संबंधित शर्तें एवं निबंधन और अन्य शेष नोट 29 में प्रकट किए गए हैं।

13.2 चालू देयताएं - अन्यवित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
अन्य देय राशियां (स्टाफ देय सहित)	3.87	0.31
कुल	**3.87**	**0.31**

14 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	9,325.00	-
ख) अन्य अग्रिम		
अन्यों से अग्रिम	-	-
ग) अन्य		
सांविधिक देय	718.47	0.46
कुल	**10,043.47**	**0.46**

नोट:

क) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय सहित सांविधिक देय राशियां।

15 चालू कर देयताएं (निवल)

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर के लिए प्रावधन (निवल कर अग्रिम)		3.38
कल	**-**	**3.38**

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
प्रदत्त करः		
चाल कर देयता		3.86
घटाः प्रदत्त कर		-0.48
कल	**-**	**3.38**

16 प्रचालन से राजस्व

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व *(संदर्भ नोट सं. 33)*	61,928.13	100.85
कुल	**61,928.13**	**100.85**

17 अन्य आय

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय:		
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	0.01	0.04
इरकॉन से अन्य अग्रिमों पर ब्याज	-	1.66
बैंक ब्याज	31.78	5.04
अन्य:		
कुल	**31.80**	**6.74**

18 परियोजना एवं अन्य व्यय

(रूपए लाख में)

विवरण	**फुट नोट**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**16 मई 2018 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु**
कार्य व्यय	(i)	60,905.84	24.40
किराया - गैर आवासीय	(ii)	2.73	2.39
दरें एवं कर		0.90	0.15
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण		0.07	0.06
बीमा		100.93	3.77
यात्रा एवं कन्वेयंस		1.93	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.35	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		13.90	1.00
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		0.07	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	(iii)	1.05	0.50
विविध व्यय		0.47	0.27
कुल		**61,028.24**	**32.54**

(i) 60905.84 लाख रूपए में से,60,797.60 लाख रूपए के कार्य व्यय (शून्य रूपए) इरकॉन से संबंधित हैं।

(ii) इरकॉन को प्रदत्त किराया 2.73 लाख रूपए (2.39 लाख रूपए) जीएसटी को छोड़कर।

(iii) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान**

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**16 मई 2018 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु**
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.55	0.25
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.10	0.10
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.30	0.15
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.10	-
(घ) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय		
यात्रा व्यय	-	-
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
कुल	**1.05**	**0.50**

19 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, परिश्रमिक एवं बोनस		127.53	36.91
भविष्य एवं अन्य निधि में अंशदान		9.21	2.69
सेवानिवृत्ति लाभ (संदर्भ नोट 27)		18.71	4.22
स्टाफ कल्याण		0.64	-
कुल		**156.09**	**43.82**

20 वित्तीय लागत

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
आयकर पर ब्याज आय			0.57	-
अन्य ऋण लागत				
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार			16.16	14.15
इरकॉन से ऋण पर ब्याज			629.75	-
एनएचएआई से प्राप्त मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज व्यय		787.02		
घटा: इरकॉन को प्रदान मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज व्यय		-690.12	96.90	-
कुल			**743.38**	**14.15**

21 मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति , संयंत्र एवं उपकरण	0.42	0.01
परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल	**0.42**	**0.01**

नोट: - 22

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क) दिनांक 31 मार्च, 20**20** तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: *

(रूपए लाख में में**)**

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्त्यिां (**'एफवीटीपीएल'**)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
करमुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	32,828.66	-	-	32,828.66
कुल	**32,828.66**	-	-	**32,828.66**

(रूपए लाख में)

विवरण		**उचित मूल्य**		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	18,100.00	-	-	18,100.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	712.19	-	-	712.19
कुल	**18,812.19**			

ख) दिनांक 31 मार्च 2019 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए लाख में)

विवरण		**उचित मूल्य**		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां (**'एफवीटीपीएल'**)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
करमुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	1.34	-		1.34
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	103.38	-		103.38
कुल	**104.72**	-	-	**103.38**

(रूपए लाख में)

विवरण		**उचित मूल्य**		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	0.31			0.31
कुल	**0.31**			

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, व्यापार का भुगतान, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी ले जाने की मात्रा को अनुमानित करती हैं।"

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्युचुवल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (उचि एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) इन वित्तीय वित्तीय में निर्धारित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों के उचित सामन्जस्य के पश्चात निर्धारित है है, कंपनी को यह अनुमान नहीं है कि वहन की जाने वाली राशि उन मूल्यों से काफी भिन्न होगी जो अंततः प्राप्त होगी।

iii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की मात्रा उनके मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य को निर्धारित करती है।

* वित्त वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

** सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश, यदि कोई है, तो उसे लागत पर मापा जाता है।

*** अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों में कुछ वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उचित मूल्य पर इन्हें मापने का प्रभाव अपरिहार्य है।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

शून्य है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी की ग्राहक प्रोफ़ाइल में भारत और विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में एकत्र अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक / कॉरपोरेट गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है, जो उचित ध्यान और प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए लाख में**)**

विवरण	**31/03/2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31/03/2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	-	0.66
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	6,185.55	-
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	370.99	390.27
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	0.20	0.68
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	40,107.80	253.61
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्य	11,461.22	-
संविदागत परिसंपत्तियां	26,642.86	100.85

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	31/03/2020	31/03/2019
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31/03/2020	31/03/2019
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया या था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए (शून्य रूपए) की हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है।

ग) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है,कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।

एनएचएआई बांड निश्चित ब्याज दर वहन करते हैं, इस प्रकार वे बांड लाभ दरों में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल संपत्ति होते हैं जिन्हें मासिक और फिर से निवेश किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2020 को	
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	1,723.81	16,376.19
व्यापार प्राप्य	16,498.43	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	3.87	-	-

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2019 को	
	1 वर्ष से कम	**1-2** वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	-	-
व्यापार प्राप्य	36.67	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	0.31	-	-

घ) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका परियोजना से राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु	16 मई 2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु
परियोजना से राजस्व	61,928.13	100.85
	61,928.13	**100.85**

ग. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

लाभांश:

विवरण	31 मार्च 2010	31 मार्च 2019
लाभांश	-	-
कुल	-	-

कर्ज इक्विटी अनुपात :- **(**रूपए लाख में**)**

विवरण	**31-मार्च-20**	**31-मार्च-19**
ऋण (नोट सं 12.1)	18,100.00	-
दीर्घकालीन ऋण	**18,100.00**	-
इक्विटी (नोट सं.9)	1,000.00	600.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.10)	12,605.98	4.99
कुल इक्विटी	**13,605.98**	**604.99**
ऋण इक्विटी अनुपान	**1.33**	-

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों संबंधी नोट

23. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) आकस्मिक देयता:

(क) कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए

(ख) वित्तीय गारंटियों को छोड़कर गारंटियां - शून्य रूपए

(ii) **आकस्मिक परिसंपत्तियां: शून्य**

24. प्रतिबद्धता:

(क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल) **शून्य रूपए।**

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

अन्य प्रतिबद्धताओं पर खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 798,67.08 लाख रूपए (137773.00 लाख रूपए) है।

25. (क) एनएचएआई (ग्राहक) के अंतर्गत दर्शाए गए शेष पुष्टि/समायोजन/ पुनर्विनियोजन, यदि कोई हो के अध्याधीन हैं। कंपनी पक्षों से पुष्टि हेतु पत्र भेज रही है। तथापि, इसकी वसूलीयोग्यता/भुगतान के सबंध में यहां कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार, व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उसे तुलनपत्र में अंकित किया गया है।

26. (क) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय उच्चावचन - शून्य

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा प्रभाव का प्रकटन - शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन (संचित आधार पर) - शून्य

(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार पर) - शून्य

(ड.) आयातों का सीआईएफ मूल्य - शून्य

(च) सामग्री एवं एम्प; प्रयुक्त भंडारण - शून्य

27. पट्टों संबंधी प्रकटन

I. पट्टाधारक के रूप में कंपनी:

एक पट्टाधारक के रूप में कंपनी ने पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें कार्यालय स्थल का पट्टा शामिल है। इंड एएस 116 की स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी अपनी आरंभिक तिथि को अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टाधारक के रूप में) का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में करती थी।

कंपनी के पास कार्यालयों के कतिपय पट्टे हैं जहां पट्टा अवधि 12 महीने या कम है। कंपनी इन पट्टों के लिए अल्पकालीन पट्टा स्वीकृति छूट को लागू करती है।

कंपनीकी पट्टा व्यवस्थाएं कार्यालयों के पट्टों के प्रीमियमों के संबंध में है। पट्टा व्यवस्थाएं रद्द किए जाने योग्य हैं और इन्हें सामान्य रूप से आपसी सहमत शर्तों पर नवीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

(क) कार्यालय परिसरों के संबंध में पट्टा प्रीमियम 2.73 लाख (2.39 लाख) - (नोट 18 (ii) पर परियोजना व्यय और अन्य व्यय सहित)।

II. पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी : शून्य

28. सेगमेंट रिर्पोटिंग

(i) कंपनी केवल भारत में प्रचालन कर रही है जो एकल सेगमेंट है, अत: भौगोलिक रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

29. संबंधित पक्ष प्रकटन : इंड एएस के अनुसार चिह्नित किए जाने वाले संबंधित पक्ष

(क) उपक्रम जहां नियंत्रण विमान है -

(i) धारक कंपनी :

- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी यपूंजी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामितियों के पास धारित है)|

(ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इरकॉन से निदेशक :- श्री दीपक सबलोक (31.10.2019 से कार्यमुक्त), श्री एस एल गुप्ता (01.11.2019 से), श्री अशोक कुमार गोयल, श्री आर के यादव, श्री आनन्द कुमार सिंह (04.092019 से कार्यमुक्त), श्री सुरजीत दत्ता (05.09.2019) और श्रीमती अनुपम बेन (30.08.2019 से कार्यमुक्त)।

अन्य: श्री बी बी सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दिनांक 13.11.2019 से कार्यमुक्त हुए), श्री एन के जी असाति (28.11.2019 को कार्यभार ग्रहण किया और 17.03.2020 को कार्यमुक्त हुए), श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह (17.03.2020 से) श्री राज कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी और रिची महाजन, कंपनी सचिव।

(ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के परिश्रमिक का ब्यौरा:-

क्र.सं.	**विवरण**	**2019-20**	**2018-19**
I	वेतन एवं भत्ते*	43.37	36.91
II	भविष्य निधि, पेंशन में अंशदान	6.18	2.69
III	बैठक शुल्क	-	-
IV	अन्य भत्ते	13.87	4.22
	कुल	**63.42**	**43.82**

*इरकॉन वीकेईएल में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अंशकालीन निदेशक को धारक कंपनी के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है, जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

(घ) दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहार:

विवरण	**संव्यवहार (रूपए हजार में)**	**बकाया राशि 31.03.2020 को (रूपए हजार में)**
इरकॉन वीकेईएल की इक्विटी में निवेश	रू. 400.00 (रू. 600.00)	रू. 1000.00 (रू. 600.00)
इरकॉन द्वारा इरकॉन वीकेईएल को उपलब्ध ब्याज मुक्त अग्रिम	रू. 12577.00 (शून्य)	रू. 12577.00 (शून्य)

इरकॉन द्वारा इरकॉन वीकेइएल को प्रदान किया गया ऋण	रू. 18100.00 (शून्य)	रू. 18100.00 (शून्य)
ऋण पर प्रदत्त/देय ब्याज	रू. 629.75 (शून्य)	शून्य (शून्य)
उपर्युक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक (iii)	रू. 63.42 (रू. 43.82)	शून्य (शून्य)
इरकॅन को लेपटॉप की बिक्री	रू. 0.47 (शून्य)	शून्य (शून्य)
कार्यशील व्यय	रू. 60797.60 (शून्य)	रू. 16450.06 (शून्य)
इरकॉन को प्रारंभिक खर्च, वेतन और पारिश्रमिक, भविष्य निधि अंशदान, किराया, प्रदत्त टीडीएस, बीजी शुल्क, अन्य खर्चों और कर्मचारियों को अग्रिम आदि की प्रतिपूर्ति	रू. 333.95 (रू. 58.24)	रू. 10.38 (रू. 11.82)
इरकॉन को उपलब्ध कराए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	रू. 15406.00 (रू. 75.00)	रू. 9224.40 (रू. 75.00)
इरकॉन को प्रदान कराए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर प्राप्त/प्राप्य ब्याज	रू. 690.12 (रू. 1.50)	रू. 359.419 (रू. 1.50)

वर्तमान वर्ष के आंकडों से भिन्नता प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष के आंकडे प्रकोष्ठ ( ) में उपलब्ध हैं:

30. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहनीय लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का आकलन

किया है। तदनुसार, शून्य रूपए की हानि (पिछले वर्ष शून्य रूपए) के लिए प्रावधान किया गया है।

31. इंड एएस 33 "प्रति शेयर आमदनी" के अनुसार प्रकटन:

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि हेतु
इक्विटी धारकों को लाभ (रूपए लाख में)	23.99	4.99
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या	81,20,219	17,89,969
प्रति शेयर आमदनी (मूल)	0.30	0.28
प्रति शेयर आमदनी (विलयित)	0.30	0.28
प्रति शेयर फेस मूल्य	10.00	10.00

32. कर्मचारी लाभों पर इंड एएस - 19 के अंतर्गतग प्रकटन

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है।

लेखांकन मानक -19 की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों (नोट सं.2,2.7) के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

33. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एएस -115 के अंतर्गत प्रकटन*

(क) राजस्व से असंयोजन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए हजार में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु					
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	**रेलवे**	**राजमार्ग**	**इलैक्ट्रिकल**	**भवन**	**अन्य**	**कुल**
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	619,28.13 (100.85)	-	-	-	619,28.13 (100.85)
समय बिंदु पर	-	-	-	-	-	-
कुल	-	619,28.13 (100.85)	-	-	-	619,28.13 (100.85)
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						
इनपुट विधि	-	619,28.13 (100.85)	-	-	-	619,28.13 (100.85)
आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	-	619,28.13 (100.85)	-	-	-	619,28.13 (100.85)
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	619,28.13 (100.85)	-	-	-	619,28.13 (100.85)
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	619,28.13 (100.85)	-	-	-	619,28.13 (100.85)

(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकट राशि सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का विनियोजन:

सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व 61928.43 लाख रूपए (100.85 लाख रूपए) है।

(ग) कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

(घ) संविदा शेष:

(रूपए हजार में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 6.1)	11461.22	-
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 4.2 व 6.5)	32828.41	100.85
संविदा दायित्व (नोट 14)	9325.00	-

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में 45 से 60 दिनों की अवधि की ऋण अवधि सहित मासिक प्रगति भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार

किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	100.85	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	32828.41	100.85
निवल वृद्धि (कमी)	32727.56	100.85

वर्ष 2018-19 के लिए,पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 32727.56 लाख रूपए की निवल वृद्धि हुई है, जो इनपुट विधि पर आधारित राजस्व स्वीकृति के कारण है जबकिकिए गए कार्यों के बिलों को ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत बिनों के समायोजन के पश्चात संविदा की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताएं		
वर्ष के अंत में संविदागत देयताएं	9325.00	-
निवल वृद्धि (कमी)	9325.00	-

- वर्ष 2019-20 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9325.00 लाख रूपए की निवल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम भुगतान और वर्ष के लिए निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहकों से अग्रिम भुगतान के समायोजन के पश्चात है।

(ड.) निम्न अवधि में राजस्व स्वीकृति:

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रेणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

(रूपए हजार में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
निर्माण संविदाओं में अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	9325.00	-
ग्राहाकों से देय राशि	11461.22	-

(ii) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में कोई राजस्व स्वीकार नहीं किया गया है जो निष्पादन दायित्व से संबंधित है और पूर्व अवधि में स्वीकृत था।

(च) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविधान

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदा के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को****	**31 मार्च 2019 को****
दिनांक 31 मार्च को आंशिक या पूर्ण असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविधान के संव्यहार आवंटित मूल्य की समग्र राशि	रू. 119369.84	रू.178406.29

प्रबंधन आशा करता है कि दिनांक 31 मार्च 2020 को असंतुष्ट संदिवा के संव्यवहार आवंटित मूल्य को भविष्य में निम्नानुसार राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च, 2020**	**31 मार्च, 2019****
एक वर्ष या कम	119369.84	89203.15
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	89203.14
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**119369.84**	**178406.29**

** ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमिति है।

34. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -**

(रूपए लाख में)

विवरण	**दिनांक 31 मार्च 2020 हेतु**
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है:	-
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	-
• उपर्युक्त पर ब्याज	
(ख) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-

(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-
(ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-

35. वर्ष के दौरान कंपनी ने "पूर्व अवधि मदों" से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। वर्तमान वर्ष में आवधिक पूर्व अवधि मदों को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तर्ज की मदों पर लेखांकन नीति परिवर्तन का काई प्रभाव नहीं पड़ा है।

36. <u>कोविड-19 प्रकटन</u>

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) को वैश्विक महामारी घोषित की है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च 2020 को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी और गैर–अनिवार्य व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन, यात्रा आदि में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे।

समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति गैर अनिवार्य श्रेणी में आती है, जिसके कारण समूह को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन

अनुदेशों के अनुपालन में अपने सभी चालू प्रचालन परियोजनाओ ंको अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण परियोजना निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपलब्धता के रूप में समूह के सामान्य प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा था।

केन्द्रीय और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कदम उठाने आरंभ किए हैं और समूह इसका अनुपालन कर रही है, चूंकि समूह ने उपलबध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को आरंभ कर दिया है। समूह धीरे धीरे मई के आरंभ से विभिन्न परियोजना स्स्थलों पर अपने प्रचालनों को आरंभ करने में सक्षम हुई है। समूह ने अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पूर्वोपाय किए हैं और कोविड–19 के प्रसार के निवारण के लिए एसओवी निर्धारित की है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। समूह को आशा है कि धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों के कार्य पर वापसआने से लॉकडाउनके पूर्व की स्थिति जैसी सामान्यता प्राप्त होने पर निर्माण कार्य अपने इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ समूह आगे कि निर्माण कार्यों के गति लााने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोगों का भी दोहन कर रही है।

वित्तीय निष्पादन

समूह विश्वास करती है कि चूंकि अभी तक कोविड–19 महामारी का राजस्व और लाभप्रदत्ता की दृष्टि से समूह के वित्तीय निष्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि समूह ने चालू वर्ष में अपने निर्धारित राजस्व को रिकार्ड किया है।

तरलता (नकदी)

समूह के पास अपने प्रचालन के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। कंपनी के अल्पकालीन निवेश ऐसे माध्यमों में किए गए हैं कि उन्हें आवश्यकता के आधार पर नकदीकृत किया जा सकता है।

समूह को आशा है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में समूह परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों, दरसूची, अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों आदि सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को वसूल कर लेगी।

सुगम प्रचालन हेतु किए गए उपाय

लॉकडाउन अवधि के दौरान, समूह ने कोविड–19 लॉकडाउन के पश्चात व्यवहास हेतु नए सामान्य स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। समूह के गैर–महत्वपूर्ण स्थलों पर कार्य करने के लिए समूह सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य की शर्तों और रोस्टर को सुचारू बना रही है। इसके अतिरिक्त, समूह ने निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के संबंध में कड़ी मॉनीटिरिंग प्रक्रियों को स्थापित किया हैः

(1) सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग

(2) नियमित आधार पर परिसरों और वाहनों का सेनिटाइजेशन

(3) सभी कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुरक्षण

(4) मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथों को धोने की प्रक्रिया को लागू करना

(5) सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का नियमित स्वास्थ्य जांच

(6) अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन

परियोजना का कार्य आरंभ होने के साथ, समूह नियमित रूप से अपने प्रचालनों की समीक्षा कर रही है और इस महामारी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई करने के हर संभाव प्रयास कर रह है। हालांकि प्रबंधन को संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व और लाभप्रदत्ता में कमी होगी, समय समयस पर लॉकडाउन अवरोध के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है और इसकी सूचना राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जाएगी चूंकि हम वर्तमान स्थिति में आगे बढ रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ इसके भावी प्रभावों का पूर्वानुमान संभव नही हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोविड–19 की स्थिति भारत और विश्व में फैली हुई है। तथापि, समूह भावी आर्थिक स्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहन निगरानी जारी रखेगी।

37. कतिपय पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता के लिए पुनवर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरणों के कारण प्रचालनों के रिपोर्टिड परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष को आंकड़ों को प्रकोष्ठ () में रखा गया है ताकि वर्तमान आंकड़ों से उनकी भिन्नता को सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते एन सी राज एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 002249एन

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
राहुल गोयल	**(सुरजीत दत्ता)**	**(आर.एस.यादव)**	**(एस.एल.गुप्ता)**
स.सं: 093114	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
	डीआईएन: 06687032	**डीआईएन: 07752915**	**डीआईएन: 07598920**
	ह/-		**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(राज कुमार)**		**(रिची महाजन)**
दिनांक: 24.06.2020	**मुख्य वित्त अधिकारी**		**कंपनी सचिव**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.06.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील अभिलेखों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्रमुख रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों के प्रश्नों तक सीमित है औरयह कुल लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच है।
मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो में संज्ञान में आए और जो मेरे विचार से इन वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा के बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
क. रोकड़ प्रवाह पर टिप्पणियां	
रोकड़ प्रवाह विवरण में, 31.78 लाख रुपये की ब्याज आय को परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में जोड़ा गया है जबकि इसे घटाना चाहिए था, जो कि इंड एएस-07 "रोकड़ प्रवाह विवरण' के पैरा 20 का उल्लंघन है।	प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन करते समय ब्याज आय को अनजाने में वापस जोड़ दिया गया था और तत्पश्चात, ब्याज की आय को भी अनजाने में निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह से

इसी प्रकार, कंपनी ने निवेश गतिविधियों से ब्याज आय (31.78 लाख रुपये) को घटाया है जबकि इसे रोकड़ प्रवाह विवरण मे जोड़ा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप **"प्रचालनिग गतिविधियों"** से रोकड़ प्रवाह में 63.56 लाख रूपए का अतिविवरण हुआ है और समान स्तर पर निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में कम-विवरण हुआ है।	घटा दिया गया था। उपरोक्त ने कंपनी के रोकड़ प्रवाह विवरण के रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी को प्रभावित नहीं किया है।
ख. प्रकटन पर टिप्पणियां (नोट-8)	
ठेकेदारों को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज (मोबिलाइजेशन अग्रिम) के रूपए 359.41 लाख रूपए को "ठेकेदार, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को जमा राशियों और अग्रिमों पर संचित ब्याज को नोट-8 में पृथक से प्रकट नहीं किया गया है। यह भी इंड एएस-01 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतीकरण के पैरा 29 के उल्लंघन में था।	मोबिलाइजेशन पर संचित ब्याज को दिनांक 16 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए खातों में ठेकेदार को अग्रिम में शामिल किया गया था और कंपनी द्वारा प्रकटन की इस विधि का प्रयोग वित्तीय वर्ष के लिए दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भी किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा की टिप्पणी को भावी अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
के.एस.रामूवालिया
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य, नई दिल्ली
दिनांक: 25.09.2020

कृते एवं की ओर से
इरकॉन वीकेईएल का निदेशक मंडल

ह/-
सुरजीत दत्ता
निदेशक
डिन: 006687032
दिनांक: 25.09.2020

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

('इरकॉनवीकेईएल')

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000